

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 557]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2010—आश्विन 27, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ-ए-3-18-2010-1-पांच (88).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों के उन निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करती है, जिनके वर्ष 2008-2009 के कर निर्धारण के मामले वेत अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन लंबित हैं तथा यह निदेश देती है कि वेत अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उनका कर निर्धारण निम्नलिखित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए कर दिया गया समझा जाएगा:—

1. **रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों का वर्ग.**—4 करोड़ रुपए तक वार्षिक टर्न ओवर वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, किन्तु जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:—

- (1) ऐसी औद्योगिक इकाइयां, जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन छूट/कर के संदाय के आस्थगन की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हों.
- (2) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में कर अपवंचन पाया गया है.
- (3) ऐसे व्यापारी जिनके मामलों में वेत अधिनियम की धारा 18 (5) (ख) के अधीन कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचनापत्र जारी किया गया हो तथा इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो.
- (4) वेत अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन कर संपरीक्षा के पश्चात्, जारी सूचनापत्र के अनुपालन में, यथास्थिति, कर की राशि तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया हो.
- (5) वेत अधिनियम या केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम या मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन उसे किसी प्रकार की वापसी शोध्य होने की दशा में.

2. **अधिनियम तथा कर निर्धारण वर्ष:**—वेट अधिनियम, 2002 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 के अधीन वर्ष 2008-2009 के कर निर्धारण के लंबित मामले.
3. **आवेदन-पत्र:**—वेट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम और मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम के अधीन, इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप क, ख तथा ग में पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
4. **आवेदन प्रस्तुत करने की समय-सीमा तथा सक्षम अधिकारी:**—पात्र व्यापारी द्वारा, इस अधिसूचना से संलग्न प्ररूप क, ख तथा ग में, जो भी उसे लागू हो, आवेदन 31-10-2010 तक समुचित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा.
5. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:**—(1) संबंधित वर्ष के लिए संदत्त किए गए कर तथा ब्याज की रकम के, यदि कोई हो, भुगतान के सबूत के रूप में चालान की प्रति.
 - (2) वेट अधिनियम के अधीन आवेदन के साथ (विक्रेता का नाम, टिन, बिल क्रमांक, दिनांक बिल की रकम और पृथक से संग्रहीत किए गए वेट की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए) आगत कर में छूट के लिए क्रयों की सूची भी प्रस्तुत की जाएगी.
 - (3) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन (प्ररूप-सी/एफ/ई-1, ई-2/एच/आई) कर में छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा, उनकी सूची के साथ संलग्न की जाएगी.
6. **उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है:**—यदि किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जिसने इस अधिसूचना के अधीन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, विभागीय अभिलेख में, संबंधित कालावधि के दौरान किए गए क्रयों या विक्रयों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है या किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि संबंधित कालावधि के दौरान कोई क्रय अथवा विक्रय नहीं किए गए हैं, तो ऐसे व्यापारी का कर निर्धारण कर दिया गया समझा जाएगा.
7. आयुक्त, व्यापारियों से प्राप्त आवेदनों में से, ऐसे मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हुए, जैसा कि वह उचित समझे चयन करेगा और उस पर संबंधित अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण किया जाएगा.
8. **अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.**—(1) यदि सक्षम अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किसी अनुलग्नक को अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो वह आवेदक का सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा.
 - (2) यदि कोई यथापूर्वोक्त त्रुटि पायी जाती है तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित की जाएगी.
 - (3) आवेदक, त्रुटियां, यदि कोई हों, को दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा. त्रुटियों के सुधार के पश्चात् सक्षम अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उस पर कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा.
 - (4) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार किया जाएगा और उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी.
 - (5) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 45 दिन के भीतर भेजी जाएगी. उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.
 - (6) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किए जा सकेंगे.

प्ररूप-ए
वेट अधिनियम के अधीन वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना के
अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी,

1. व्यापारी का नाम एवं पता:
2. (टिन) करदाता का पहचान क्रमांक
3. सकल कुल राशि (ग्रास टर्न ओवर)
4. कटौतियां:—
- (क) पृथक से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन व्यय की राशि
- (ख) नगद छूट की राशि
- (ग) छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि
- (घ) करमुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि
- (ङ) प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर की राशि
- (च) अंतर्राज्यीय विक्रय राशि
- (छ) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय
- (ज) अन्य कटौतियां
- कुल कटौतियां (क से ज तक)
5. कर योग्य कुल राशि (टर्न ओवर) (3-4)

- | 6. | कर योग्य कुल राशि (टर्न ओवर) की दर के अनुसार वर्गीकरण | देय कर |
|----|---|-----------------|
| | कर की दर | कुल विक्रय राशि |

12.5 प्रतिशत

4 प्रतिशत

अन्य दर, यदि कोई हो,

कुल योग		
7.	क्रय कर	
दर	कर योग्य क्रय मूल्य	देय क्रय कर
12.5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग		
8.	आगत कर में छूट का अभिशून्यन	
दर	कुल राशि (टर्न ओवर)	अभिशून्य किया गया आगत कर
12.5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग		
9.	कुल योग (6+7+8)
10.	आगत कर में छूट की गणना	
दर	कुल राशि (टर्न ओवर)	आगत कर
12.5 प्रतिशत		
4 प्रतिशत		
कर की अन्य दर		
कुल योग		
11.	वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई अग्रणीत की राशि
12.	वेट के विरुद्ध समायोजित आगत कर से छूट की राशि
13.	केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर में छूट की राशि
14.	अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को अंतरित आगत कर में छूट की राशि

15. वर्ष 2009-10 के लिए अग्रणीत आगत कर में छूट की राशि
16. शेष देय मांग (9-12)
17. धारा 18 (4) (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)
18. धारा 18 (4) (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)
19. देय ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (16+17+18)
20. चालान द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)
21. टी.डी.एस. प्रमाण-पत्रों की राशि
22. समायोजित और स्वीकृत की गई वापसी की राशि (आर ए ओ नं.)
23. जमा राशि का योग (20+21+22)
24. शेष अतिरिक्त मांग (19-23)
25. वापसी की राशि, यदि देय हो
26. यदि आगत कर अग्रणीत किया गया हो तो वापसी की राशि
27. कालम 11 में दर्शाई गई राशि एवं कालम 26 में दर्शाई गई राशि में अंतर होने की स्थिति में अंतर का कारण विनिर्दिष्ट करें
28. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नंबर एवं दिनांक)

मैं का प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/

एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य हैं.

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

प्ररूप-बी

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में
अधिसूचना के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण प्राधिकारी, (अधिकारी)

.....

1. सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय
2. कटौतियां
- (क) पूर्णतः कर मुक्त माल की विक्रय राशि
- (ख) ई-1, ई-2 एवं 'सी' फार्म पर विक्रय
- (ग) अन्य कटौतियां (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें)

कुल कटौतियां :

3. कर योग्य विक्रय (1-2)

4. कर योग्य विक्रय का कर अनुसार विभाजन

अनुक्रमांक	विवरण	विक्रय कुल राशि	कर की दर	कर की राशि
1.	'सी' फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय (सूची अनुसार)
2.	बिना 'सी' फार्म घोषणा-पत्रों के विक्रय
3.	
4.	

5. कुल देयकर
6. वेट अधिनियम की धारा 18(4) (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)

7. वेट अधिनियम की धारा 18(4) (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)
8. देय कर, उस पर ब्याज एवं शास्ति उपरोक्त (5+6+7) का योग:
9. वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरुद्ध समायोजित आगत कर की राशि
10. चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)
11. वापसी समायोजित तथा स्वीकृत की गई राशि
12. योग (9+10+11)
13. शेष अतिरिक्त मांग (8-12)
14. वापसी की राशि (यदि कोई हो)
15. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नंबर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)

मैं प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/

एतद्वारा सत्यापित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास से सही हैं.

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर:

फर्म का नाम.

प्ररूप-सी

प्रवेश कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2008-09 की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में
अधिसूचना के अधीन आवेदन

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी,

.....

1. व्यापारी का नाम एवं पता
2. करदाता का पहचान क्रमांक
3. सकल क्रय राशि, क्रय से भिन्न माल का मूल्य

4. कटौतियां
- (1) धारा 10 के अधीन प्रवेश कर से छूट प्राप्त माल
- (2) स्थानीय माल की क्रय राशि
- (3) स्थानीय माल को छोड़कर रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों से क्रय किए गए माल की राशि
- (4) अन्तर्राज्जीय विक्रय के माल की क्रय राशि
- (5) प्रदेश बाहर विक्रय/ट्रांसफर माल की राशि
- (6) निर्यात के अनुक्रम में माल की क्रय राशि
- (7) पुनः विक्रय हेतु अनुसूची-तीन के माल की क्रय राशि
- (8) अन्य कटौतियां (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें)
- (9) कुल कटौतियां
5. करयोग्य राशि (3-4)
6. करयोग्य राशि पर कर की गणना

दर	करयोग्य राशि	देय कर
1 प्रतिशत		
2 प्रतिशत		
9.5 प्रतिशत		
12.5 प्रतिशत		
25 प्रतिशत		
अन्य दर		

7. कुल देय प्रवेश कर
8. वेट अधिनियम की धारा 18(4) (क) के अनुसार ब्याज की राशि यदि कोई हो
9. वेट अधिनियम की धारा 18(4) (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)

10. योग (7+8+9)
11. मुजराई (यदि कोई हो)
12. वापसी समायोजित तथा स्वीकृत की गई राशि
13. योग (11+12)
14. शेष देय मांग (10-13)
15. चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि कोई राशि पूर्व में जमा की गई हो)
16. शेष अतिरिक्त मांग (14-15)
17. वापसी की गई राशि यदि स्वीकार्य हो
18. आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नंबर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)

मैं का प्रोपराईटर/भागीदार/डायरेक्टर/
 एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान तथा विश्वास से सत्य हैं।

स्थान:

दिनांक :

हस्ताक्षर

फर्म का नाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010

क्र. एफ-ए-3-18-2010-1-पांच, (88).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-18-2010-1-पांच, (88) दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th October 2010

No. F.-A-3-18-2010-1-V-(88).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) read with sub-section (2) of section 20-A, of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies the following class of registered dealers whose assessment cases are pending under the Vat Act, Central Sales Tax Act and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetron Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) for the year 2008-2009 and directs that their assessment shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of Section 20 of the Vat Act, subject to the following requirements, restrictions and conditions :—

1. The class of registered dealers.—The registered dealers having annual turn over up to rupees 4 crore, but does not include the following :—

- (1) Such industrial unit which are eligible to avail of the facility of exemption/deferment of payment of tax under any notification issued by the Government of Madhya Pradesh.
- (2) The dealers in whose cases tax evasion has been detected.
- (3) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under section 18(5) (b) of the Vat Act and the requirement has not been complied with.
- (4) In compliance of the notice issued after tax audit under sub-section (6) of Section 19 of the Vat Act, the amount of tax and interest, as the case may be, has not been paid.
- (5) In case refund of any kind is due to him under Vat Act or Central Sales Tax Act or the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetron Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam.

2. Acts and the assessment year.—Pending assessment cases under the Vat Act, 2002, Central Sales Tax Act, 1956 and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetron Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 for the year 2008-2009.

3. Application.—An application shall be submitted separately in Form "A", "B" and "C" appended to this notification under the Vat Act, Central Sales Tax Act and Madhya Pradesh Entry Tax Act.

4. Time limit for submission of the application and the competent officer.—An application shall be submitted by the eligible dealer in Form "A", "B" and "C", appended to this notification whichever applicable, to the appropriate assessing officer by 31-10-2010.

5. The documents to be enclosed with the application.—(1) A copy of challan in proof of payment of amount of tax and interest, if any, paid for relevant year.

(2) A list of purchases for the rebate of input tax shall be submitted with the application under Vat Act (Specifying the name of seller, TIN, bill number, date, amount of bill and amount of VAT collected separately).

(3) The declaration prescribed for exemption of tax and concessional rate of tax under the Central Sales Tax Act (Form-C/F E-1, E-2/H/I) shall be enclosed along with their list.

6. For the dealers who have not submitted application.—If no information is available relating to the purchases or sales made during the relevant period in the departmental record in respect of a dealer who has not submitted application under this notification or where a field report has been filed by any departmental officer to the effect that no purchases or sales have been made in the relevant period, the assessment shall be deemed to have been made of such dealer.

7. The Commissioner shall select out of applications received from dealers by specifying the criterion, as he may think fit, and thereupon assessment shall be made in accordance with the provisions of the respective Acts and rules.

8. Procedure to be followed under which assessment shall be deemed to have been made.—(1) If the competent officer, before whom an application is submitted, finds any enclosure as incomplete or any mistake in respect of calculation is detected, he shall afford an opportunity of hearing to the applicant.

(2) If any defect as aforesaid is found, after recording the reasons thereof a show cause notice shall be issued and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.

(3) The applicant shall rectify the defect, if any, and file the documents. After the rectification of the defects the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.

(4) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the defect is not rectified, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer.

(5) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 45 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.

(6) Appropriate instructions for the implementation of the scheme may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

FORM-A

Application under the Notification in the assessment case for the year 2008-09 under Vat Act

To,

The Assessing Authority, (officer)

.....
.....

1. Name and address of Dealer
2. (TIN) Tax Payers Identification No.
3. Gross turnover
4. Deductions :
- (a) Cost of freight or delivery
- or installation separately charged.
- (b) Amount of cash discount
- (c) Amount of sales return within six
- months
- (d) Amount of sales of goods declared
- tax free
- (e) Sales outside the State/amount of
- branch transfer.

(f)	Amount of Inter State sales
(g)	Sales in the course of export out of the territory of India.
(h)	Other deductions
	Total deductions (a to h)
5.	Taxable Turnover (3-4)

6. **Rate wise classification of taxable turnover :—**

Rate of tax	Sales turn over	Tax payable
12.5 percent		
4 percent		
other rate, if any,		
Total		

7. **Purchase Tax :—**

Rate	Taxable purchase price	Purchase tax payable
12.5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

8. **Reversal of Input tax rebate :—**

Rate	Turnover	Reversed Input tax
12.5 percent		
4 percent		
other rate of tax		
Total		

9. Gross Total of tax (6+7+8) :—

10. **Calculation of Input tax rebate :—**

Rate	Turn over	Input tax
12.5 percent		
4 percent		

other rate of tax

Total

11. Carry forwarded amount assessed by the Assessing Officer of the assessment case of year 2006-2007
12. Amount of Input tax rebate adjusted against VAT
13. Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax
14. Amount of Input tax rebate transferred to other registered Dealer
15. Amount of Input tax rebate carry forwarded for the year 2009-2010
16. Remaining demand payable (9-12)
17. Amount of interest (if payable) according to section 18(4) (a)
18. Amount of penalty (if payable) as per section 18(4)(b)
19. Total amount of interest payable and penalty (16 +17+18)
20. Amount deposited by challan (if deposited previously)
21. Amount of TDS Certificates
22. Amount of refund adjusted and accepted (RAO No.)
23. Total of amount deposited (20+21+22)
24. Remaining additional demand (19—23)
25. Amount of refund, if payable
26. Amount of refund due to Input tax if carry forwarded
27. Specify the reasons of difference as shown in the amount of column 11 and column 26
28. Amount deposited at the time of application (Challan number and date)

I, Proprietor/Partner/Director of
 hereby verify that the above facts are true to the best of
 my knowledge and belief.

Place :

Signature

Date : _____ Name of Firm

FORM-B

Application under the Notification in the assessment case for the year 2008-09 under CST Act

To,
The Assessing Authority, (officer)
.....
.....

1. Gross Inter State sales
2. Deductions
- (a) Sale price of wholly tax free goods
- (b) Sale against E-1, E-2 and' C from
- (c) Other deductions (give details and evidence thereof)
- Total

deductions

3. Taxable sales (1—2)
4. Tax wise classification of taxable sales

S. No.	Description	Sales turnover	Rates of tax	Amount of tax
1.	Sales against "C" Form declarations (as per list)
2.	Sales without "C" Form declaration
3.
4.

5. Total tax payable
6. Amount of interest (if payable) as per section 18 (4) (a) of Vat Act.
7. Amount of Penalty (if payable) as per section 18(4) (b) of Vat Act.
8. Tax payable, interest thereon and penalty total of above (5+6+7).

9. Amount of Input tax adjusted against the central sales Tax from Vat Act.
10. Amount deposited by challan (if deposited previously)
11. Amount of refund adjusted and accepted
12. Total (9+10+11)
13. Remaining additional demand (8-12)
14. Amount of refund (if any)
15. Amount deposited at the time of application (specify challan number and date)

I,, Proprietor/Partner/Director of hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place : Signature

Date : Name of Firm

FORM-C

Application under the Notification in the assessment case for the year 2008-09 under Entry Tax Act

To,
The Assessing officer,
.....
.....

1. Name and address of Dealer
2. Tax Payers Identification No.
3. Gross purchase amount, price of goods other than purchased.
4. Deductions :
- (1) Goods exempted from entry tax under section 10.
- (2) Purchase amount of local goods.
- (3) Amount of purchased goods from the registered dealer other than local goods.

(4)	Purchase price of Inter State sales of goods.
(5)	Purchase price of sales/transfer of goods outside of the State.
(6)	Purchase price of goods in the course of export.
(7)	Purchase price of schedule III goods for resale.
(8)	Other deductions (Give details and evidence there of)
(9)	Total deductions
5.	Taxable amount (3-4)
6.	Calculation of tax on taxable amount

Rate	Taxable Amount	Tax Payable
1 Percent		
2 Percent		
9.5 Percent		
12.5 Percent		
25 Percent		
Other Rates		

7.	Total entry tax payable
8.	Interest payable, if any, as per section 18(4) (a) of Vat Act.
9.	Amount of penalty (If payable) as per section 18(4) (b) of the Vat Act.
10.	Taotal (7+8+9)
11.	Set off (If any)
12.	Amount of refund adjused and accepted
13.	Total (11+12)
14.	Remaining demand (10-13)
15.	Amount deposited by challan (If deposited previously)
16.	Remaining additional demand (14-15)
17.	Amonut of refund, if admissible
18.	Amount deposited at the time of application (Specify challan number and date)

I, Proprietor/Partner/Director of, hereby verify that the above said facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place:
Date:

Signature
Name of Firm